राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) की
वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 की संस्तुतियों पर

कार्रवाई रिपोर्ट

वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) के वार्षिक रिपोर्ट की सिफारिशों पर की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भित पैरा सं.	सिफारिशें संक्षिप्त में	की गई कार्रवाई
राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकी में क्षमता विकास और राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकीविदों की अपेक्षाओं का आकलन		
पैरा 2.3 (क)	आयोग ने एनएसएसटीए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्तमान में संचालित संपर्क कार्यक्रम में और अधिक लक्षित दृष्टिकोण की आवश्यकता का उल्लेख किया ताकि भारतीय सांख्यिकी सेवा में विश्वविद्यालयों के भौगोलिक रूप से असंतुलित प्रतिनिधित्व को दूर किया जा सके । आयोग ने यह भी महसूस किया कि स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर सांख्यिकी का अध्ययन करने वाले छात्रों में सरकारी सांख्यिकीय विशेष रूप से भारतीय सांख्यिकी सेवा और राज्य सांख्यिकीय संवर्ग में आजीविका संबंधी जोरदार प्रचार की आवश्यकता है ।	प्रत्येक वर्ष, प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुमोदन समिति (टीपीएसी) की सिफारिश/निर्देश के आधार पर, एनएसएसटीए 'शासकीय सांख्यिकी' पर जागरूकता कार्यशाला/ प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित करता है, जिनका उद्देश्य स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर सांख्यिकी का अध्ययन करने वाले छात्रों के मध्य आईएसएस और राजकीय सांख्यिकी संवर्ग में विशेषतः शासकीय सांख्यिकी के क्षेत्र में आजीविका संबंधी व्यापक प्रसार करना है । **(i) विश्वविद्यालय संकायों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी):** यह विश्वविद्यालय/कॉलेजों के सांख्यिकी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसरों के लिए शासकीय सांख्यिकी पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो एनएसएसटीए में आयोजित किया जाता है; **(ii) विश्वविद्यालय परिसर/ कालेजों में जागरूकता कार्यशालाएं :**एनएसएसटीए अपने कैम्पस में 'आधिकारिक सांख्यिकी' पर विश्व विद्यालय के सांख्यिकी/ अर्थशास्त्र विभाग/ कॉलेजों के शिक्षकों एवं छात्रों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करता है । **(iii)** राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (एनएसएसटीए) में विभिन्न विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के छात्रों के साथ-साथ उनके शिक्षकों के लिए भी एक दिवसीय अध्ययन दौरा आयोजित करता है, ताकि आधिकारिक सांख्यिकी के क्षेत्र में जागरूकता फैलाई जा सके।

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भित पैरा सं.	सिफारिशें संक्षिप्त में	की गई कार्रवाई
		(iv) आईएसआई के एम-स्टैट्स छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम: एनएसएसटीए प्रत्येक वर्ष, आईएसआई, कोलकाता में आईएसआई के एम-स्टैट्स छात्रों के लिए 'आधिकारिक सांख्यिकी'पर 8 दिनों एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। उपयुक्त परिवर्तनों के सुझाव के लिए टीपीएसी को सिफारिश से अवगत कराया जाएगा। जहां तक भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) में भर्ती की बात है, तो यह ध्यान दिया जा सकता है कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर एमओएसपीआई द्वारा ऐसा किया जाता है।
पैरा 2.3 (ख)	इस प्रयोजनार्थ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली में कैरियर की संभावनाओं को विशिष्टता से दर्शाने वाला उजागर करने वाला एक समर्पित वेबपेज/वेबसाइट तैयार की जा सकती है।	एनआईआईपी परियोजना के अंतर्गत एमओएसपीआई वेबसाइट पर स्व-पंजीकरण के लिए एक तंत्र भी विकसित किया जा रहा है, जहां कोई भी स्वयं को पंजीकृत कर शासकीय सांख्यिकी के क्षेत्र में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों से गुजर सके और तदनुसार, वह एमओएसपीआई की वेबसाइट पर कैरियर के संभावित अवसरों का पता लगा सके।
पैरा 2.3 (ग)	आयोग ने विश्वविद्यालयों से सांख्यिकी विषय में पास हुए छात्रों के बारे में सूचना प्राप्त करने और श्रमिक बाजार में उनके शामिल होने के पैटर्न को समझने के लिए इस मामले को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ अनुगमन करने की इच्छा व्यक्त की है । एनएसएसटीए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय विश्वविद्यालयों के साथ स्वतंत्र रूप से मामले पर चर्चा कर सकते हैं।	शिक्षा मंत्रालय ने अवगत कराया है कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार, यह केवल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के सांख्यिकी छात्रों के पास आउट डेटा को साझा कर सकता है। अंडर ग्रेजुएट स्तरों में बी.एससी और बी.ए. जैसे कार्यक्रमों के रूप में डेटा एकत्र किया जा रहा है।

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भित पैरा सं.	सिफारिशें संक्षिप्त में	की गई कार्रवाई
राष्ट्रीय और राज्य स्तर के आंकड़ों का विश्लेषण		
पैरा 2.5	एनएससी की 23 अक्टूबर, 2019 को आयोजित 110वीं बैठक के दौरान, उपर्युक्त विषय पर चर्चा में सरकारी सांख्यिकीय प्रणाली के लिए अनिवार्य पूर्वानुमान और सुदृढ़ भविष्यसूचक विश्लेषण करने की आवश्यकता को चिन्हित किया गया । सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लिए इनपुट डाटा सहित डाटा का और अधिक विस्तार से विश्लेषण करना की आवश्यक है ।	एमओएसपीआई कई डेटा स्रोतों का उपयोग करके मैक्रो-आर्थिक समुच्चय का अनुमान तैयार करता है। राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 की सिफारिशों का पालन करके अनुमानों को संकलित किया गया है। एमओएसपीआई न तो इनपुट डेटा स्रोतों पर आधारित भविष्यसूचक विश्लेषण करता है और न ही वास्तविक अनुमानों के निर्माता होने के नाते, मैक्रो-इकनोमिक अनुमानों का कोई पूर्वानुमान लगाता है। पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करना वास्तविक अनुमानों में पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है। इसलिए, इस मंत्रालय के लिए आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली के लिए पूर्वानुमान और पूर्वानुमान विश्लेषण को अनिवार्य बनाना उचित नहीं हो सकता है। जहां तक इनपुट डेटा के विश्लेषण की बात है, जीडीपी अनुमानों को तैयार करते समय, इनपुट डेटा का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है, लेकिन जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निष्पक्ष रहने के लिए उनका पूर्वानुमान नहीं किया जाता है ।
जनसंख्या के निर्धन वर्ग पर प्रभाव जानने के लिए विशिष्ट मूल्य सूचकांक		
पैरा 2.11(क)	आयोग का यह भी मानना है कि ई-कॉमर्स/ऑनलाइन खरीद के साथ तुलना, कम से कम शहरी सीपीआई के लिए, डेटा मानदंड या उसकी प्रति जांच डिज़ाइन के अनुसार की जानी चाहिए।	**पैरा 2.11(क) से 2.11 (ख):** राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मूल्य सांख्यिकी प्रभाग (पीएसडी), सीपीआई के लिए रिटेल आउटलेट के ई-कॉमर्स/ऑन-लाइन खरीद और स्कैनर मूल्य डेटा (बिक्री का बिंदु) को कैप्चर करने के लिए आईआईटी चेन्नई के साथ एक प्रायोगिक अध्ययन पर विचार कर रहा है। इस संबंध में, 'विचारार्थ विषय' और प्रस्तावित पायलट अध्ययन

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भित पैरा सं.	सिफारिशें संक्षिप्त में	की गई कार्रवाई
पैरा 2.11(ख)	यह वांछनीय था कि पीएसडी इन सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए एनएससी को एक विस्तृत विवरण उपलब्ध कराएं।	के 'तौर-तरीकों' के बारे में आईआईटी चेन्नई के साथ तीन बैठकें हो चुकी हैं। इसके अलावा, आईआईटी चेन्नई ने प्रस्तावित प्रायोगिक अध्ययन के दायरे से संबंधित एक दस्तावेज साझा किया है, जिसकी पीएसडी द्वारा जांच की जा रही है।
डाटा समेकन और प्रसार के लिए एनएससी द्वारा आरंभ किए जाने वाले जिला स्तरीय परीक्षण अध्ययन के तौर-तरीके		
पैरा 2.14(क)	यह निर्णय लिया गया कि एनएसओ पर्याप्त संसाधनों के साथ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में 4 क्षेत्रीय कार्यालयों को इंगित करें जो अपने अधिकार क्षेत्र के किसी एक जिले में परियोजना का समन्वय कर सकें।	एफओडी ने इस संबंध में चार क्षेत्रीय कार्यालय नामतः देहरादून , रायपुर, बेंगलुरु और भुवनेश्वर के नाम सूचित किए हैं।
पैरा 2.14(ख)	इसके अतिरिक्त यह निर्णय लिया गया कि महानिदेशक (सांख्यिकी) के साथ डॉ. किरण पंड्या, सदस्य, एनएससी परियोजना के लिए कार्य और प्रदेय वस्तुओं के दायरे को इंगित करते हुए एक अवधारणा नोट तैयार करेंगे और उसे एनएसओ के साथ साझा करेंगे।	अवधारणा नोट की तैयारी चल रही है।
प्रलेखन और डाटा साझाकरण प्रोटोकॉल		
पैरा 2.16	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कामकाज में प्रौद्योगिकी के उपयोग में प्रगति को ध्यान में रखते हुए, डाटा साझाकरण प्रोटोकॉल और सूचना सुरक्षा से जुड़े मामलें अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। यह नोट किया गया कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय उपयोगकर्ताओं के साथ अंतिम डाटा और रिपोर्ट साझा करने के संबंध में डाटा दस्तावेज़ीकरण और प्रसार	एमओएसपीआई ने एमओएसपीआई की आई टी पहलों को संचालित करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया है। एमईआईटीवाई भी आईएमसी के सदस्यों में से एक है। आईएमसी के विचारार्थ विषय (टीओआर) में अन्य बातों के साथ साथ केंद्रीय और राज्य सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों सहित अन्य एजेंसियों के बीच सांख्यिकीय डेटा और मेटाडेटा एक्सचेंज प्रोटोकॉल का निर्णय करना शामिल है। सांख्यिकीय डेटा और मेटाडेटा एक्सचेंज प्रोटोकॉल तय करते

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भित पैरा सं.	सिफारिशें संक्षिप्त में	की गई कार्रवाई
	नीति का पालन करता है। सिस्टम में सूचना सुरक्षा सुनिश्चित करने के संदर्भ में कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं थे। आयोग की राय थी कि डाटा की संवेदनशीलता को देखते हुए एक व्यापक सूचना सुरक्षा प्रोटोकॉल का होना आवश्यक है। एनएससी सचिवालय तक ने प्रस्तुत किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने व्यापक दिशानिर्देश तैयार किए हैं और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के लिए व्यापक दिशा-निर्देशों को रुचि के अनुसार बनाना संभव है।	समय, सूचना सुरक्षा पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाएगा।
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) विधेयक 2019 के मसौदे पर वर्तमान एनएससी के दृष्टिकोण पक्ष का निरूपण		
पैरा 2.19(क)	आयोग के सदस्यों के संबंध में प्रस्तावित आयोग के संगठन को एक हाइब्रिड मॉडल को अपनाना चाहिए। पांच पूर्णकालिक सदस्यों के स्थान पर इसमें दोनों अर्थात पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य हो सकते हैं।	**पैरा 2.19 (क) से 2.19 (छ) :** आयोग की सिफारिशों को ड्राफ्ट एनएससी बिल में उपयुक्त रूप में शामिल कर लिया गया है।
पैरा 2.19(ख)	अध्यक्ष और सदस्यों दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का रखा जाए और सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष और अध्यक्ष के मामले में 70 वर्ष होगी।	
पैरा 2.19(ग)	विधेयक में अध्यक्ष और सदस्यों की स्थिति के संबंध में बताया जाए।	
पैरा 2.19(घ)	मुख्य संकेतकों की सूची लचीली होनी चाहिए न कि स्थिर, ताकि आवश्यकता के अनुसार उसमें जोड़ और विलोपन किया जा सके।	

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भित पैरा सं.	सिफारिशें संक्षिप्त में	की गई कार्रवाई
पैरा 2.19 (ङ)	गवर्नर, आरबीआई और भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् (सीएसआई) द्वारा यथा नामित उप-गवर्नर, आरबीआई, आयोग के पदेन सदस्य होते हैं।	
पैरा 2.19 (च)	आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए खर्च समिति को मंत्रिमंडलीय सचिव की निगरानी में मानक सरकारी चयन प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए।	
पैरा 2.19(छ)	प्रत्येक राज्य में एक राज्य मुख्य सांख्यिकीविद् हो सकता है, और वह व्यक्ति राज्य में अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए।	
विविध मामले		
पैरा 2.20	आयोग ने सामाजिक लेखा-परीक्षा के लिए कार्यप्रणाली विकसित करने हेतु प्रस्तावित प्रयोगिक अध्ययन के संबंध में भी चर्चा की। यह निर्णय लिया गया कि डॉ. किरण पंड्या, सदस्य, एनएससी सामाजिक ऑडिटपायलट परियोजना के संबंध में प्रतिचयन और आधिकारिक सांख्यिकी इकाई (एसओएसयू) तथा भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अनुप्रयुक्त सांख्यिकी इकाई (एएसयू) के प्रोफेसरों के साथ बातचीत करेंगे और उसके बाद एक अवधारणा नोट और अनुमानित बजट तैयार करेंगे और वह इसे अगली बैठक में पेश करेंगे।	प्रो किरण पांड्या , सदस्य एनएससी ने सोशल ऑडिट पायलट प्रोजेक्ट के बारे में बैठक को अवगत कराया। भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) ने अपने पायलट प्रोजेक्ट '' एनहांसिंग सोशल ऑडिट थ्रू सर्वे सैम्पलिंग एण्ड एनालिटिक्स'', जो कि प्रो. किरण पाण्डया और आईएसआई के कुछ प्रोफेसरों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई थी, को प्रस्तुत किया।

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भित पैरा सं.	सिफारिशें संक्षिप्त में	की गई कार्रवाई
एनएससी के लिए कार्य योजना		
पैरा 2.22(क)	केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा सांख्यिकी सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए दिशा-निर्देशों, जिनमें भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 232 दिनांक 5 दिसंबर 2011 में निहित किसी भी सांख्यिकीय सर्वेक्षण का संचालन करना शामिल है, को फिर से परिचालित किया जा सकता है।	**पैरा 2. 22 (क) से 2. 22 (ख) :** सभी केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे इन दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें और एनएससी सचिवालय को पिछले 5 वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए सांख्यिकीय सर्वेक्षण और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित करें।
पैरा 2.22(ख)	पिछले 5 वर्षों में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा आयोजित किए गए किसी भी सांख्यिकीय सर्वेक्षण के संबंध में जानकारी मांगी और संकलित की जा सकती है।	
घरेलू पर्यटन और बहु-संकेतक सर्वेक्षण पर एनएसएस 78वें दौर सर्वेक्षण की विषय-वस्तु और कवरेज की संपुष्टि		
पैरा 3.4 (क)	एनएसएस इन सर्वेक्षणों को शुरू कर सकता है और शीघ्र परिणाम के लिए एक तंत्र का काम कर सकता है। उन्हें इस दिशा में पूछताछ की अनुसूची को प्रश्नावली में परिवर्तित करने के लिए तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है ।	एनएसएस के 78वें दौर, जो जनवरी, 2020 से शुरू हुआ था, से प्रश्नावली पद्धति पहले ही लागू की जा चुकी है।
पैरा 3.4 (ख)	एमआईएस सर्वेक्षण के लिए, इन्हें नियमित अंतराल पर आयोजित किया जा सकता है ताकि संबंधित एसडीजी संकेतकों के लिए डाटा आवश्यकताओं को अद्यतित किया जा सके।	पहला मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे (एमआईएस) जनवरी-दिसंबर 2020 से 78वें दौर में शुरू किया गया।
पैरा 3.4 (ग)	प्रश्नावली को अंतिम रूप देते समय, संबंधित सरकारी योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना आदि के बारे में जागरूक करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए जानकारी मांगी जा	प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के बारे में पारिवारिक इकाई की जागरूकता पर सवाल को प्रथम एमआईएस की प्रश्नावली में शामिल कर लिया गया है।

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भित पैरा सं.	सिफारिशें संक्षिप्त में	की गई कार्रवाई
	सकती है ।	
पैरा 3.4 (घ)	रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षणों के लिए, गहराई से प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि युवा स्वयं को कैसे व्यस्त रख रहे हैं, खासकर जब वे शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर रहे है और उनके पास कोई रोजगार (एनईईटी)या जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं है ।	एमआईएस अनुसूची में एनईईटी पर प्रश्न शामिल कर लिया गया है ।
पैरा 3.4 (ङ)	शिक्षा के घटक के लिए, शैक्षिक संस्थान (सार्वजनिक, निजी, अर्ध-निजी आदि),जहां से अंतिम शिक्षा प्राप्त की गई थी, की प्रकृति के विषय में पूछा जा सकता है ।	उस संस्था के प्रकार के बारे में प्रश्न जिसमें पारिवारिक इकाई के सदस्य को नामांकित किया गया है, उसे एमआईएस प्रश्नावली में 'सरकारी', 'निजी- सरकार द्वारा सहायता प्राप्त' 'निजी-सहायता–रहित' और 'ज्ञात नहीं' के कोड के साथ रखा गया है ।
पैरा 3.4 (च)	प्रवासन संबंधी विषय के लिए, एनएसएस अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम जैसे विधिक उपबंधों की सहायता ले सकता है और यह भी देखें कि क्या अनुसूची को अंतिम रूप देते समय उत्तरदाताओं से किसी इनपुट की आवश्यकता है ।	इस मुद्दे पर एमआईएस प्रश्नावली में परिवार के सदस्यों के प्रवासन (पुनः प्रवासन सहित) पर लगभग 16 प्रश्न शामिल किए गए हैं । बाद के एमआईएस / प्रवासन सर्वेक्षण में, अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम के कानूनी प्रावधानों का पता लगाया जा सकता है ।
पैरा 3.4 (छ)	अंतिम संकेतक में प्रस्तावित एनएसएस राउंड्स मैप की प्रश्नावली और मेटा डेटा पर एक पूर्ण खाका तैयार करने की आवश्यकता है ।	सर्वेक्षण के आधार पर लाए गए सभी संकेतकों के लिए, अवधारणाओं और परिभाषाओं, डिजाइन, कार्यप्रणाली जिसके आधार पर डेटा एकत्र किया जाता है, के रूप में मेटा डेटा उपलब्ध कराया जाता है । एनएसएस 78वें दौर से प्रश्नावली की शुरुआत के साथ, मेटाडेटा में अंतिम संकेतक के लिए मेटाडेटा और प्रश्नों की मैपिंग भी शामिल होगी ।
पैरा 3.4 (ज)	चूंकि एमआईएस के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले विषय विविधतापूर्ण हैं, इसलिए कार्य समिति नमूना आकार और उसकी उपयुक्तता की पर्याप्तता का आकलन कर सकती है।	एमआईएस के लिए गठित वर्किंग ग्रूप ने कुछ सतत विकास लक्ष्यों संकेतकों के प्रतिदर्श आकार की पर्याप्तता पर एक अध्ययन आरंभ किया है। इसके निष्कर्षों को 28.08.2020 को आयोजित 8वीं वर्किंग ग्रुप की बैठक में प्रस्तुत किया गया था ।

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भित पैरा सं.	सिफारिशें संक्षिप्त में	की गई कार्रवाई
कुछ महत्वपूर्ण सर्वेक्षणों यथा पीएलएफएस और एएसआई के संबंध में विधिमान्य अनुमानों के लिए एनएसएस में प्रतिदर्श आकार की आवश्यकता		
पैरा 3.10 (क)	सर्वेक्षणों की प्रतिदर्श मात्रा की पर्याप्तता और डाटा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अध्ययन हेतु एक समिति गठित की जानी है। समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, वास्तविक समय संबंधी विधिमान्यता के विकास हेतु डाटा गुणवत्ता के मुद्दे और प्रौद्योगिकी के परिनियोजन पर भी टिप्पणी कर सकती है। अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि प्रो. मौसमी बोस, अनुप्रयुक्त सांख्यिकी इकाई, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता अपनी उपलब्धता के आधार पर इस समिति की अध्यक्षता कर सकती हैं और डॉ. जी.सी. मन्ना समिति के विशेष अतिथि हो सकते हैं। समिति के अन्य सदस्यों के नामों का निर्णय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए जाएंगे।	प्रो टी.जे. राव, आईएसआई कोलकाता की अध्यक्षता में उप-राज्य स्तर के अनुमानों के लिए प्रतिदर्श आकार के निर्धारण के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें डॉ जी.सी. मन्ना विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।
पैरा 3.10 (ख)	पीएलएफएस रिपोर्ट में कुछ मानदंडों के आकलन के अंतर्गत डिजाइन के प्रभाव में परिवर्तन और इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए स्थायी श्रम शक्ति सांख्यिकी समिति (एससीएलएफएस) और एनएससी की एक संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है।	एससीएलएफएस का अस्तित्व समाप्त हो गया है और श्रम बल सर्वेक्षण अब एससीईएस द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। एससीईएस की उपसमिति 2 की बैठक में पीएलएफएस (2021-22) के डिजाइन और अनुसूची पर चर्चा की गई है। एससीईएस की उपसमिति 2 और एनएससी की संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है।

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भित पैरा सं.	सिफारिशें संक्षिप्त में	की गई कार्रवाई
पैरा 3.12	आयोग का मानना है कि यही समिति दिनांक 5 सितम्बर, 2019 को आयोजित एनएससी की बैठक में उठाए गए मामलों की जांच-पड़ताल कर सकती है । इसके अलावा, अध्यक्ष ने इच्छा व्यक्त की है कि समिति की संरचना को संशोधित करके प्रो. टी.जे. राव, भारतीय सांख्यिकी संस्थान को इस समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है जबकि श्री गौतम चटर्जी, भूतपूर्व मुख्य सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक अपनी उपलब्धता के आधार पर इस समिति के सदस्य हो सकते हैं । डॉ. जी.सी. मन्ना, सदस्य, एनएससी इस समिति के विशेष अतिथि हो सकते हैं । समिति के अन्य सदस्यों के नाम का निर्णय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जा सकता है ।	प्रो. टी. जे. राव की अध्यक्षता में उप-राज्य स्तर के अनुमानों के लिए नमूना आकार का निर्धारण करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति के अन्य सदस्य हैं श्री गौतम चटर्जी, आरबीआई के पूर्व प्रधान सलाहकार, श्री केपी उन्नीकृष्णन, पूर्व एडीजी, एनएसओ, डॉ. एके. श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त प्रो, आईएएसआरआई, नई दिल्ली, डॉ. तौकीर अहमद, प्रमुख नमूना सर्वेक्षण, आईएएसआरआई, नई दिल्ली, श्री पंचानन दास, पूर्व एडीजी, एनएसओ, डॉ. जीसी मन्ना, सदस्य, एनएससी। समिति की पहली बैठक 06.03.2020 को हुई थी ।
केंद्रीय और राज्य के प्रतिदर्श डाटा पूलिंग के लिए नियमित प्रबंधन		
पैरा 3.15 (क)	समिति ने सचिवालय से पहले की रिपोर्ट को सदस्यों के साथ शेयर करने को कहा ।	एनएससी सचिवालय ने 12.09.2019 को एनएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को रिपोर्ट साझा की है ।
पैरा 3.15 (ख)	आयोग ने यह सिफ़ारिश भी की थी की एनएसएस के 68वें दौर के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ राज्यों हेतु केंद्रीय और राज्य प्रतिदर्श के लिए अलग से कुछ अभिलक्षणों जैसे एलएफपीआर, डब्ल्यूपीआर, यूआर और एमपीसीई के संबंध में एनएसओ को अनुमानों और अपने विश्वास सीमा को प्रमुखता देते हुए एक नोट प्रस्तुत करना चाहिए ।	एनएसएस 68वें दौर के केंद्रीय प्रतिदर्श डेटा के आधार पर एलएफपीआर, डब्ल्यूपीआर, यूआर तथा एमपीसीई मानदंडों के लिए आत्मविश्वास की सीमा को बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी गई है । एनएसएस 68वें दौर के राज्य प्रतिदर्श डेटा के आधार पर एलएफपीआर, डब्ल्यूपीआर, यूआर तथा एमपीसीई के आंकलनों के साथ-साथ तदनुरूपी विभिन्न सेक्टरों/जेंडर के लिए आरएसई (%) तथा आत्मविश्वास की सीमा उपलब्ध कराने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया है ।

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भित पैरा सं.	सिफारिशें संक्षिप्त में	की गई कार्रवाई
पैरा 3.15 (ग)	डाटा की पूलिंग में बाधा डाल रहे मुद्दों की जांच और इस कार्य को पूरा करने में नियमित क्रियाविधि संबंधी तरीके सुझाने के लिए एनएससी के सदस्य, डॉ. जी. सी. मन्ना की अध्यक्षता में एक समूह का गठन किया जाना चाहिए । एमओएसपीआई द्वारा अनुशंसाओं पर तब विचार किया जा सकता है जब वे एनएसएस में जनरलाइज्ड सर्वे सोल्यूशन (जीएसएस) पर आधारित आईसीटी का कार्यान्वयन किया जाएगा जो केंद्रीय और राज्य प्रतिदर्श डाटा की पूलिंग में आने वाली अड़चनों पर भी ध्यान देगा ।	जहां तक जीएसएस के आरएफपी और इसकी वर्तमान स्थिति का सवाल है, तो केंद्रीय और राज्य के नमूनों की पूलिंग के तंत्र को नियमित करने के लिए उसकी परिकल्पना नहीं की गई है ।
एनएसएस सर्वेक्षण- एफओडी, एसडीआरडी, डीक्यूएडी में डाटा गुणवत्ता में सुधार लाना		
पैरा 3.19 (क)	मांग और आपूर्ति दोनों तरफ ही से भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को प्रतिबंबित और अंगीकार करने के लिए सर्वेक्षण प्रश्नावली को और अधिक गतिशील बनाने की आवश्यकता है ।	प्रश्नावली डिजाइन करते समय इस मुद्दे को हल करने के लिए प्रयास किए गए हैं ।
पैरा 3.19 (ख)	सर्वेक्षण के चलने के दौरान सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्रित डाटा को पूरक बनाने और सुसाध्य अथवा विधिमान्य बनाने के लिए डाटा के विकल्पी स्रोत का उपयोग करना ।	जानकारी के संग्रह के समय डेटा का मानकीकरण करते समय कुछ नियंत्रण कम्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू (सीएपीआई) मॉड्यूल में शामिल किए गए हैं। सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षण फील्डवर्क की समाप्ति के पश्चात डेटा का बाहरी प्रमाणन तद्रूपी बाहरी डेटा की उपलब्धता के स्तर तक किया जाता है ।
पैरा 3.19 (ग)	डाटा संग्रहण और सर्वेक्षण प्रक्रिया में सुधार करने के लिए बिग डाटा, एआई और मशीन लर्निंग जैसे विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करते हुए विकसित प्रौद्योगिकी के तरह उपयोग का पता लगाना ।	एमओएसपीआई उन्नत तकनीकों के उपयोग का लाभ उठाएगा जैसे कि बिग डेटा एआई और मशीन लर्निंग जैसे एनालिटिकल टूल्स का प्रयोग करते हुए डेटा एकत्रण और सर्वेक्षण प्रक्रिया में सुधार लाना ।

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भित पैरा सं.	सिफारिशें संक्षिप्त में	की गई कार्रवाई
पैरा 3.19 (घ)	एनएसओ द्वारा सर्वेक्षण संगणकों, डाटा गुणवत्ता व्यक्तियों आदि के लिए एमएसडीई के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र शीघ्र ही तैयार करना।	एनएसओ ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के साथ कार्य किया और फील्ड सर्वेक्षण गणनाकारों, डेटा गुणवत्ता आश्वासन कार्यकारिणी और सर्वेक्षण पर्यवेक्षक के लिए अर्हता पैक प्रतिपादित कार्य किया।
पैरा 3.19 (ङ)	एनएसओ, शीघ्रता से आईएसएस और एसएसएस अधिकारियों की संवर्ग समीक्षा भी शीघ्र ही करेगा ताकि मध्यावधि में नियमित पदों का सृजन कर उन्हें भरा जा सके।	**अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) के अधिकारी:** एसएसएस अधिकारियों के संबंध में कैडर समीक्षा शुरू कर दी गई है और भाग लेने वाले मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के परामर्श से मसौदा प्रस्ताव तैयार किया गया है । पर्याप्त जनशक्ति के साथ एसएसएस को बढ़ाने के उद्देश्य से इस प्रस्ताव की परिकल्पना की गई है ताकि क्षेत्र स्तरीय अधिकारियों जो कि मुख्यतः एसएसएस अधिकारी होते हैं, द्वारा एकत्र किए गए सटीक डेटा द्वारा समर्थित भारत सरकार की नीतियों और दृष्टिकोण को अक्षरशः लागू किया जा सके। **भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस) के अधिकारी:** आईएसएस अधिकारियों की संवर्ग समीक्षा का प्रस्ताव मंत्रालय द्वारा पहले से ही शुरू कर दिया गया है और यह प्रक्रियाधीन है।
पैरा 3.19 (छ)	प्राथमिकता के आधार पर केंद्रित अध्ययन को शुरू करने के लिए एनएसओ में एक प्रणाली संबंधी अध्ययन इकाई की स्थापना करना।	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि एनएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सर्वेक्षण अभिकल्प और अनुसन्धान प्रभाग में एक कार्यप्रणालीय अध्ययन इकाई को रखा जाए।
पैरा 3.19 (ज)	सर्वेक्षण प्रक्रिया में सहभागिता और योगदान के लिए प्रमुख उद्योगों से विशेषज्ञों को भी आमंत्रित करना।	वर्किंग ग्रुप के गठन के दौरान प्रमुख उद्योग के विशेषज्ञ भी शामिल किए गए हैं। हाल के दिनों में, फिक्की, टाटा ट्रस्ट्स आदि के प्रतिनिधियों को वर्किंग ग्रुप में शामिल किया गया है।
पैरा 3.19 (झ)	सर्वेक्षण ढांचा को मजबूत बनाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनएससी ने सर्वेक्षण-योजना में प्रौद्योगिकी के संवर्धन संबंधी एक रोड मैप तैयार करने के लिए ज़ोर दिया है।	ई-सिग्मा (ई-सर्वेक्षण उपकरण तथा सामान्यीकृत मल्टीमाडल एप्लीकेशन), सामान्यीकृत सर्वेक्षण उपाय (जीएसएस) को सर्वेक्षण-योजना में तकनीक वृद्धि के लिए विकसित किया जा रहा है।

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भित पैरा सं.	सिफारिशें संक्षिप्त में	की गई कार्रवाई
पैरा 3.19 (ञ)	प्रश्नों के पुनःसमूहन और प्रश्नावली को संक्षिप्त कर सर्वेक्षण प्रश्नावली को पुनः करना और उसका आकार बदलकर प्रतिक्रिया संबंधी थकान जैसी बड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय के रूप में प्रायोगिक आधार पर आरंभ किया जा सकता है।	विभिन्न हितधारकों के परामर्श से प्रश्नावली को तैयार किया गया है और कार्य समूहों की विभिन्न बैठक में विचार-विमर्श किया गया है। कार्य समूह की सिफारिश पर, प्रासंगिक सर्वेक्षण किया गया जो एमआईएस पर सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावली, श्रृंखला आधारित सूचकांकों के विकास के लिए उपभोग की बॉस्केट आदि को अंतिम रूप देगा । पायलट सर्वेक्षण के अनुभवों के आधार पर प्रश्नावली में आवश्यक संशोधनों को भी शामिल किया गया है।
घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण में डाटा गुणवत्ता		
पैरा 3.23 (क)	आयोग ने नोट किया है कि सां. और कार्य. कार्या. मंत्रा. वर्ष 2020-21 और 2021-22 की अवधि के दौरान उपभोक्ता व्यय पर एक के बाद एक दो सर्वेक्षण करेगा । यह मैक्रो-इकोनॉमिक संकेतकों के अगले आधार वर्ष संशोधन के लिए चयन किए जाने वाले उपयुक्त वर्ष से संबंधित निर्णय लेने में सहायता करेगा।	पहले सर्वेक्षण की तैयारी शुरू कर दी गई है और पहले के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण कि तर्ज पर श्रुंखला आधरित सूचकांक के विकास के लिए उपभोक्ता बास्केट पर शीघ्र ही सर्वेक्षण आरंभ किया जाएगा ।
पैरा 3.23 (ख)	कुल एमपीसीई में महत्वहीन योगदान वाली मदों/अप्रचलित मदों को हटाकर और नए/आने वाली मदों को शामिल करके सीईएस के आइटम बास्केट को संशोधित और न्यायसंगत बनाया जासकता है। इसके साथ ही, मौजूदा मदों की संख्या का पुनःसमूहन /विलयन/ एकीकरण कर मदों की सूची की छंटाई की आवश्यकता है ।	श्रृंखला आधारित सूचकांकों के विकास के लिए उपभोग बास्केट पर प्रस्तावित सर्वेक्षण में, मासिक प्रति व्यक्ति व्यय के लिए मामूली योगदान के साथ अप्रचलित वस्तुओं को आइटम श्रेणी 'अन्य' के साथ जोड़ा गया है । मौजूदा वस्तुओं का पंजीकरण/विलय/समामेलन भी परिवारों के सापेक्ष महत्व और खपत पैटर्न के आधार पर किया गया है ।
पैरा 3.23 (ग)	सामाज-कल्याण योजनाओं के माध्यम से परिवारों द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता संबंधी जानकारी लेने के उद्देश्य से, आने वाले सर्वेक्षणों में सीईएस सारणी/प्रश्नावली में उपयुक्त प्रावधान किए जाएं।	श्रृंखला आधारित सूचकांकों के विकास के लिए उपभोग बास्केट पर प्रस्तावित सर्वेक्षण में, कई मदों की पहचान हो गई है और इन मदों के लिए परिवारों द्वारा प्राप्त सब्सिडी पर जानकारी एकत्र करने का प्रावधान श्रृंखला आधारित सूचकांकों के विकास के लिए उपभोग बास्केट पर सर्वेक्षण में किए गए हैं।

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भित पैरा सं.	सिफारिशें संक्षिप्त में	की गई कार्रवाई
पैरा 3.23 (घ)	ऑन-लाइन फुटकर बिक्री आदि को शामिल करते हुए अन्य स्रोतों से उपभोग संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिए अर्थोपाय विकसित किए जाएंगे।	श्रृंखला आधारित सूचकांकों के विकास के लिए उपभोग बास्केट पर सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावली के विकास के दौरान इस मुद्दे को ध्यान में रखा गया है।
पैरा 3.23 (ङ)	सीएएस सारणी/प्रश्नावली की लम्बाई को मदों के उचित पुनःसमूहन/पुनःप्रबंधन द्वारा अनुकूल बनाया जा सकता है ताकि प्रत्यर्थी जिम्मेवारी को कम किया जा सके। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे है कि प्रतिक्रियाओं को भरने का समय लगभग 45 मिनट लक्षित किया जाए।	मौजूदा सीईएस अनुसूची को चार प्रश्नावली में विभाजित किया गया है ताकि उसकी लंबाई को कम करने के साथ-साथ सूचना एकत्र करने में लगने वाले समय को कम किया जा सके।
पैरा 3.23 (च)	गैर-प्रतिदर्श त्रुटियों को कम करने के लिए सूचकों का साक्षात्कार के समय लक्षित और केंद्रित दृष्टिकोण रखा जाएगा। यह सारणी/प्रश्नावली में मदों और ब्लॉकों/सेक्शनों के उपयुक्त नियम-आधारित यादृच्छिकीकरण के माध्यम से प्रौद्योगिकीय इंटरवेंशन किया जा सकता है।	श्रृंखला आधारित सूचकांकों के लिए उपभोग बास्केट पर आगामी सर्वे के लिए प्रश्नावली के सीएपीआई संस्करण में ब्लॉक / सेक्शन / मदों का नियम आधारित रैंडमाइजेशन लागू किया जाएगा।
पैरा 3.23 (छ)	ई-कामर्स की तेजी से प्रगति ने परिवारों की क्रय व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन किएहैं और इस प्रकार का क्रय वस्तुओं और सेवाओं (मेट्रो/शहरी क्षेत्रों) के घरेलू प्रबंध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्मित करता है। ऑनलाइन क्रय संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिए सीईएस प्रश्नावली में उचित प्रावधान बनाए जाने चाहिए।	श्रृंखला आधारित सूचकांकों के लिए उपयोग बास्केट पर आगामी सर्वेक्षण में ऑनलाइन खरीद पर जानकारी एकत्र करने का प्रावधान किया गया है।

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भित पैरा सं.	सिफारिशें संक्षिप्त में	की गई कार्रवाई
पैरा 3.23 (ज)	उपयुक्त सर्वेक्षण प्रोटोकॉल्स का अनुसरण कर नए दृष्टिकोण को अंतिम रूप देकर उसे लागू किया जा सकता है । पीएलएफएस फैशन (अर्थात, रोटेशनल पैनल का अनुसरण कर), जहां वस्तुओं के एक विशेष समूह के बारे में जानकारी अर्थात, एक विशेष विजिट के दौरान खाद्य पदार्थों को परिवारों के एक समूह से एकत्रित किया जा सकता है जबकि गैर-खाद्य पदार्थों संबंधी सूचना अन्य समूह परिवारों से संग्रहित करने के बारे में पता लगाया जाना चाहिए।	इस तरह के पीएलएफएस दृष्टिकोण का पालन करने की संभावना पर कार्यदल की बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। हालांकि, इस तथ्य के मद्देनजर कि सीईएस के माध्यम से एकत्रित जानकारी का उपयोग एमपीसीई फ्रैक्टाइल वर्गों द्वारा जनसंख्या के वितरण को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है, तीन अलग-अलग मासिक विजिट में घरों के एक ही सेट से पूरे उपभोग बास्केट पर जानकारी एकत्र करने का निर्णय लिया गया।
पैरा 3.24	एसडीआरडी द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण पर विचार करते हुए और सदस्यों के मतों से यह सहमति बन गयी थी कि एनएसएस के 75वें दौर का पारिवारिक उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) डाटा पारिवारिक उपभोग व्यवहार, विशेषकर समाज-कल्याण योजना के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले सामानों और सेवाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन को पता लगाने के लिए पर्याप्त संवेदनशील नहीं है। यह सिफ़ारिश की गयी थी कि सर्वेक्षण के परिणामों को इसके वर्तमान रूप में जारी नहीं किया जा सकता है और न ही स्थूल आर्थिक संकेतकों के आधार वर्ष संशोधन के लिए आधार के रूप में उपयोग किया जा सकता है।	जैसा कि अनुशंसा की गई थी, परिणाम जारी नहीं किए गए थे।
पैरा 3.25	इसके अतिरिक्त यह सिफ़ारिश आगे की गयी थी कि बेहतर गुणवत्ता के साथ तेजी से डाटा संग्रहण और परिणामों को शीघ्रगामी जारी करने के लिए सांख्यिकी और कार्य. कार्या. मंत्रा. को प्रौद्योगिकी के सहयोग से शीघ्रता से करनी चाहिए।	डेटा एकत्र करते समय तकनीकी इंटरवेंश्न पहले ही लागू किया जा चुका हैं । प्रश्नावली मोड में सीएपीआई के माध्यम से डेटा एकत्र किया जा रहा है जिससे डेटा जारी करने के लिए समय अंतराल कम होने की उम्मीद है।

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भित पैरा सं.	सिफारिशें संक्षिप्त में	की गई कार्रवाई
एनएसएसओ के सर्वेक्षणों के अनुसूची की लंबाई संबंधी परिचर्चा		
पैरा 3.28 (क)	वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए एक के बाद एक दो सर्वेक्षणों में अनुयाचन से पहले सीईएस अनुसूची को पुनःतैयार एवं उसका यौक्तिकीकरण किया जाना है। इन गतिविधियों को समायोजित करने हेतु अन्य सर्वेक्षणों के लिए एनएसएस अपनी योजनाओं को पुनःतैयार कर सकता है।	पिछली सीईएस अनुसूची का एनएससी की सिफारिशों और प्रायोगिक सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त अनुभव के आधार पर संशोधन कर उसे तर्कसंगत बनाया गया है। संशोधित प्रश्नावली का उपयोग करने वाला पहला सर्वेक्षण जल्द ही शुरू किया जाएगा।
पैरा 3.28 (ख)	मुख्य सर्वेक्षणों के लिए अनुसूचियों का यौक्तिकीकरण किया जाएगा ताकि रिस्पोंस समय 40 मिनट के अंदर ही रहे।	श्रृंखला आधारित सूचकांकों के विकास के लिए उपभोग बास्केट पर प्रस्तावित सर्वेक्षण में प्रतिक्रिया समय को छोटा करने के लिए अनुसूची को चार प्रश्नावलियां में विभाजित किया गया है।
पैरा 3.28 (ग)	सर्वेक्षण की पहुँच और अवधारणाओं का पुनःसंस्करण होना है ताकि ये समाज की बदलती आवश्यकताओं के लिए अधिक प्रासंगिक हो। सीपीआई बास्केट के लिए, हितधारकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यादृच्छिकीकरण तकनीक/ स्पिलिटिंग तकनीक के उपयोग की सुसाध्यता का पता लगाना। एचसीआई के और अधिक वास्तविक आकलन के लिए एक उपयुक्त सर्वेक्षण कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए सां. और कार्य. कार्या. मंत्रा. यथा आवश्यक, एक त्वरित प्रारम्भिक अध्ययन संपादित कर सकती है।	श्रृंखला आधारित सूचकांकों में विकास के लिए उपभोग बास्केट पर आगामी सर्वेक्षण की प्रश्नावली (उपभोक्ता व्यय पर पूर्ववर्ती सर्वेक्षण की जगह) को एनएससी की इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया हैं।
एनएसएस के 77वें दौर की सारणीयन योजना और आकलन प्रक्रिया		
पैरा 3.32 (क)	एनएसओ (एसडीआरडी) को एनएसओ (एसडीआरडी) द्वारा	कृषि लागत अध्ययनों में संग्रहित सूचना के कवरेज का अध्ययन एनएसओ के कृषि परिवार की स्थिति

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भित पैरा सं.	सिफारिशें संक्षिप्त में	की गई कार्रवाई
	संभाव्य ओवरलैप की जांच के उद्देश्य से पहले से प्रकाशित डाटा जैसे मुख्य फसलों की उत्पादन लागत की जांच/अध्ययन के लिए व्यापक योजना के अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित उत्पादन लागत पर ध्यान देने की आवश्यकता है।	आकलन पर सर्वेक्षण के अगले दौर के लिए सर्वेक्षण उपकरण की तैयारी के दौरान किया जाएगा जिसका उद्देश्य कृषि परिवार की कृषि लागत अध्ययनों और स्थिति मूल्यांकन के बीच संभावित ओवरलैप को समाप्त/कम करना है।
पैरा 3.32(ख)	एनएससी के विचार के लिए नए सर्वेक्षणों को आरंभ करने हेतु प्रस्तावों को प्रत्याशित उपयोगकर्ताओं/प्रायोजकों, संभाव्य संकेतकों और मसौदा सारणीयन आयोजना से सर्वेक्षण के लिए समावेश करने की आवश्यकता है। प्रस्ताव में अन्य स्रोतों/सर्वेक्षणों से प्रशासनिक डाटा की उपलब्धता और डाटा की उपलब्धता का गहन अध्ययन करके उसे विधिवत रूप से प्रस्ताव में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।	**पैरा 3.32 (ख) से 3.32 (ग) :** एनएससी के विचार के लिए नए सर्वेक्षणों के प्रस्तावों पर विधिवत विचार किया जाएगा।
पैरा 3.32(ग)	विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों को एनएससी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।	
समय उपयोग सर्वेक्षण (टीयूएस), 2019 का सारणीयन आयोजना और आकलन प्रक्रिया		
पैरा 3.35	एनएसओ (एसडीआरडी) ने समय उपयोग सर्वेक्षण की सारणीयन आयोजना और आकलन प्रक्रिया संबंधी व्याख्या तैयार की है। एनएससी की इच्छा थी कि विस्तृत उपकरणों, अवधारणाओं और कार्यप्रणाली को एनएससी के साथ शेयर किया जा सके।	सर्वेक्षण दस्तावेज़ों को एनएससी के साथ साझा किया गया था।

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भित पैरा सं.	सिफारिशें संक्षिप्त में	की गई कार्रवाई
विविध मुद्दे		
पैरा 3.37	आयोग ने घरों का सूचीबद्ध करने संबंधी कार्य और सर्वेक्षण में इसके उपयोगिता की भी चर्चा की है । आयोग ने एनएसओ(एसडीआरडी) लागत प्रभावी और कुशल तरीकों द्वारा घरों के सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया की सुसाध्यता का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन शुरू करने की अनुशंसा की है । अध्ययन के परिणामों को एनएससी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ।	अध्ययन किया जाएगा ।

***